(☏ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं./No. 7/8/2015/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/11378 अगस्त/August 29, 2016

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : रिटायरमेंट पर एक अंतराल के बाद सीएचएसएस सुविधा की बहाली
Sub : Restoration of CHSS facility after a gap on retirement

सीएचएसएस का अनुच्छेद सं. 2.1.10(ii) यह प्रावधान करता है कि "जो सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्कीम के लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें कम से कम एक कैलेंडर वर्ष का अंशदान अग्रिम रूप से जमा करना चाहिए और यह अंशदान उनके सेवानिवृत्ति/अमान्यकरण से पूर्व आहरित वेतन पर आधारित होगा। आजीवन पंजीकरण हेतु कर्मचारियों के पास एकबारगी ही 10 वर्ष का अंशदान जमा करने का विकल्प भी है। सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन पंजीकरण हेतु एक बार के अंशदान एवं सेवानिवृत्ति की तारीख से अंशदान के बकाये की भुगतान की शर्त पर किसी भी समय इस स्कीम से जुड़ने का विकल्प कर्मचारियों को उपलब्ध होगा।"

CHSS Clause no. 2.1.10(ii) provides that "The retired employees, who opt for the benefits of the scheme, should pay the contribution in advance for a minimum period of one calendar year and the contribution shall be with reference to the pay drawn by him/her prior to retirement/invalidation. Employees may also have an option to pay one time contribution for 10 years to be eligible for life-long registration. The option to join the Scheme any time after the retirement will be available to the employees subject to the payment of one time contribution for life-long registration as indicated and arrears of contribution from the date of retirement."

2. तथापि, यह ध्यान में आया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो रिटायरमेंट होने पर एक अंतराल के बाद सीएचएसएस से जुड़ते हैं के अंशदान की राशि, एवं सीएचएसएस अंशदान पर बकाये की गणना करने हेतु उनके अंतिम वेतन की गणना के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति में कोई एकरूपता नहीं है।

However, it is noticed that there is no uniformity in respect of method adopted to work out last pay drawn of the retired employees (who join the CHSS after a gap on their retirement) for calculating the amount of contribution and the arrears of CHSS contribution.

3. इसलिए, विभाग ने इस मुद्दे पर विचार किया, तथा अंतराल की अवधि के अंशदान के बकाया को चार्ज किए बिना, निम्नानुसार सीएचएसएस के अनुच्छेद सं. 2.1.10(ii) को तत्काल प्रभाव से संशोधित करने का निर्णय लिया है :

Hence, Department considered this issue and decided to revise the CHSS Clause no. 2.1.10(ii), with immediate effect, and as follows, without charging arrears of contribution for the period of gap :

"कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अग्रिम रूप में अंशदान का भुगतान करना चाहिए तथा अंशदान सेवानिवृत्ति/अमान्यकरण से पूर्व आहरित वेतन के संदर्भ में होगा। संपूर्ण जीवन के लिए पंजीकरण हेतु पात्र होने के लिए कर्मचारी के पास दस वर्षों के लिए एकबारगी अंशदान देने का विकल्प भी होगा।

नोट *: यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति में एक अंतराल के बाद इस योजना में शामिल होता है तो उसके द्वारा धारित पद से संबद्ध अंतिम वेतन को समय-समय पर कल्पित रूप से संशोधित कर, सीएचएसएस के अंशदान की गणना, उस संशोधित वेतन के आधार पर संपूर्ण जीवन के लिए पंजीकरण हेतु की जाएगी।"*

"Employees should pay the contribution in advance for a minimum period of one calendar year and the contribution shall be with reference to the pay drawn by him/her prior to retirement/invalidation. Employee may also have an option to pay one time contribution for ten years to be eligible for life-long registration.

Note *: If the Employee joins the Scheme after a gap on retirement, his/her last pay drawn attached to the post held by him, to be revised notionally from time to time and CHSS contribution to be calculated on the basis of pay, that would have been admissible on the date of application for life-time registration, had he/she continued in service."*

(स्वाति पाण्डेय Swati Pandey)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी
All CHSS Administering Authorities :

(1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
(2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
(3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
(4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
(5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad

(6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
(7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
(8) निदेशक, एएमडी, हैदरबाद Director, AMD
(9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT
(10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC
(11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL
(12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
(13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to :

(1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
(2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
(3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC & Secretary, DAE
(4) संयुकत सचिव (एएंडए), पऊवि के प्रधान निजी सचिव PPS to Joint Secretary (A&A), DAE
(5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
(6) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी
AO-III, BARC Hospital, BARC
(7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
(8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE